निविदा प्रेस विज्ञप्ति
योजना एवं विकास विभाग
मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना

योजना एवं विकास विभाग, मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना/अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, पटना/बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना/मूल्याकन निदेशालय, पटना/स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण सगठन कार्यालय, पटना/योजना एवं विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयो में कार्यालय परिचारी, वाहन चालक, रात्रि प्रहरी, स्वीपर एव बिजली मिस्त्री के कार्यो के लिए बाह्य स्त्रोत से कर्मियों की सेवा उपलब्ध कराने हेतु सेवा प्रदायी एजेन्सी से तकनीकी एवं वित्तीय निविदा प्रस्ताव दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफे में आमत्रित किये जाते है। आवदेन के साथ 10,000 (दस हजार) रूपये मात्र का राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र/बैक ड्राफ्ट, जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में प्लेज किया गया हो, सलग्न करना अनिवार्य होगा।

2 इच्छुक सेवा प्रदायी एजेन्सियाँ, जिनका वार्षिक कारोवार 50 (पचास) लाख रूपया से कम न हो तथा मानव ससाधन सेवाएं आपूर्ति के क्षेत्र में (उपर वर्णित कार्यालय परिचारी, वाहन चालक, रात्रि प्रहरी, स्वीपर एवं बिजली मिस्त्री की सेवा आपूर्ति के क्षेत्र में) कार्य का 5 वर्षो का अनुभव हो, किसी अन्य संस्था/विभाग मे सेवा प्रदत्त की गयी हो तो उसके प्रमाण के साथ निविदा विभाग में दिनांक **15.11.2018** को अपराह्न **3.00** बजे तक प्राप्त किये जायेंगे, तथा दिनाक **15.11.2018** को ही अपराह्न **4.00** बजे विभागीय क्रय समिति के अध्यक्ष–सह–अपर सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय प्रकोष्ठ में विभागीय क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोली जाएगी, जिसमे निविदादाता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है।

3 विस्तृत जानकारी के लिए योजना एव विकास विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट **www.planning.bih.nic.in** पर देखा जा सकता है।

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)
अपर सचिव
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना

योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना की निविदा संबंधी नियम एवं शर्ते

1. योजना एवं विकास विभाग, (विभागीय मुख्यालय, मुख्य सचिवालय, बिहार, पटना/अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, पटना/बिहार राज्य योजना पर्षद, पटना/मूल्यांकन निदेशालय, पटना/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, पटना/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का कार्यालय सहित प्रमडल स्तरीय एवं जिला स्तरीय, योजना एवं सांख्यिकी कार्यालयों को (आवश्यकता अनुसार) प्रशिक्षित कर्मियों को उपलब्ध करायेगें, जिसमें कार्यालय परिचारी, वाहन चालक, रात्रि प्रहरी, स्वीपर एवं बिजली मिस्त्री आदि शामिल है।

2 उपलब्ध कराये जाने वाले कर्मी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए।

3. क्षेत्रीय भाषा में पूरी तरह बातचीत करने की क्षमता होनी चाहिए।

4. एजेन्सी कर्मियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए प्रतिदिन मास्टर रौल संधारण करेंगे।

5 अगर कोई कर्मी कर्त्तव्य पर अक्षम या अनुशासनहीन पाये जाते हैं, तो योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना की सूचना पर वैसे कर्मियों को हटाकर नये सक्षम कर्मी को एजेन्सी द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

6. एजेन्सी द्वारा नियुक्त कर्मी राज्य सरकार या योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के अंदर नौकरी के लिए दावा नहीं करेगें।

7. एजेन्सी के द्वारा श्रम कानून का पालन किया जायेगा।

8. कर्मियों के अपने कार्य संपादन के दौरान किसी चोट या विकृति की जिम्मेवारी योजना एवं विकास विभाग की नहीं होगी।

9. एजेन्सी द्वारा योजना एवं विकास विभाग को भुगतान के लिए मासिक उपस्थिति प्रमाण–पत्र के साथ अगले माह के प्रथम सप्ताह के अंदर विपत्र उपस्थापित किया जाएगा, जिसके आधार पर एजेन्सी को भुगतान किया जायेगा।

10. सेवा प्राप्त कर्मियों के पारिश्रमिक से EPF/ESI/Service Tax एवं अन्य कटौती किए जाने संबंधी गत माह की कटौती विवरणी अगले माह के भुगतान का दावा विपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

11. एजेन्सी द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक अथवा सेवा निवृत कर्मियों की सेवा प्राप्त/उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

12. एजेन्सी के साथ एकरारनामा की तिथि से यह अनुबंध एक साल तक वैध होगा। एजेन्सी की सेवा संतोषप्रद होने पर संविदा अवधि आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है।

13. एजेन्सी को आवदेन के साथ 10,000 (दस हजार) रूपये मात्र का राष्ट्रीय बचत प्रमाण–पत्र/बैंक ड्राफ्ट, जो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पक्ष में प्लेज किया गया हो, सलग्न करना अनिवार्य होगा।

14. एजेन्सी का चयन हो जाने पर 25,000(पच्चीस हजार) रूपये जमानत राशि का बैंक ड्रॉफ्ट निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के पदनाम से जमा करना होगा।

15 निविदा से संबंधित किसी विवाद को दोनों पक्ष द्वारा आपसी विचार विमर्श से सुलझाया जायेगा। आपसी विमर्श से विवाद का निष्पादन नहीं होने पर विवाद पर प्रधान सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग का आदेश/निर्णय अन्तिम होगा।

16. किसी भी पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को तीन महीने पहले सूचना देकर एकरारनामा को खत्म किया जा सकेगा।

17. कार्यस्थल पर कर्मी का कार्य अवधि प्रतिदिन 9 30 बजे पूर्वाह्न से 6.00 बजे अपराह्न तक होगा। आवश्यकतानुसार अवकाश के दिन भी कार्यालय अवधि के पहले एवं बाद मे भी आना पड सकता है तथा आवश्यकता पडने पर कार्यालय अवधि के बाद भी कार्य लिया जा सकता है।

18. उपर्युक्त वर्णित कार्यो के निष्पादनार्थ निविदा दो लिफाफा प्रणाली प्रक्रिया के अंतर्गत निकाली जायेगी। प्रथम लिफाफा में संस्था का वार्षिक टर्नओवर/

स्वच्छता/कार्यालय परिचारी तथा अन्य कर्मी उपलब्ध कराने के क्षेत्र में न्यूनतम पिछले 5 वर्षो का अनुभव अनिवार्य होगा।

दूसरे लिफाफा में निविदा दाता को उपरोक्त सेवाएँ देने के विरूद्ध मासिक राशि, जो श्रम संसाधन विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, अंकित करना होगा।

19. निविदादाता द्वारा दिया गया मासिक दर अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल/उच्च कुशल कर्मियों के क्रम में होना चाहिए। प्राप्त दर कर रहित {(न्यूनतम मजदूरी+ई0पी0एफ0+ई0एस0आई0+सेवाकर (सर्विस टैक्स)} एवं कर सहित {(कर रहित+सेवा प्रदायी एजेन्सी द्वारा लिया जाने वाला सेवा शुल्क (सर्विस चार्ज)}के रूप मे होना चाहिए।

20 तकनीकी निविदा में सफल निविदादाता के ही वित्तीय निविदा पर विचार किया जाएगा।

21. सस्था कभी काली सूची में नही डाली गयी हो, इसका नोटरी का शपथ पत्र देना होगा।

22 आउट सोर्सिग के तहत प्रदान/प्राप्त की जाने वाली सेवाओं में आरक्षण लागू किए जाने के सबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापाक 13876 दिनाक 03.11.2017 तथा पत्राक 14556 दिनांक 17.11.2017 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। साथ ही इस आशय का एक शपथ पत्र भी देना होगा।

23. निविदा को बिना कारण बताए किसी भी समय अस्वीकृत करने अथवा संशोधित करने का अधिकार विभाग को सुरक्षित रहेगा।

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)
अपर सचिव,
योजना एवं विकास विभाग,
बिहार, पटना